फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

वादी–रामवतार व अन्य

प्रतिवादी–लाडा देवी व अन्य

केस संख्या : 299/2014 वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29.06.2017	:–निर्णय:– आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वकील वादी व प्रतिवादी उप0। वकील पक्षकारान ने सीधी बहस सुने जाने का निवेदन किया। ' वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील वादी ने निवेदन किया कि वादीगण खसरा नंबर 936 रकबा 9 बिस्वा ग्राम रेनवाल, तहसील फागी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजीयात के लगवा पूर्वी दिशा में प्रतिवादीगण की आराजीयात खसरा नंबर 934, 935 व 938 है। प्रतिवादीगण वादीगण के पडौसी खातेदार काश्तकार होने का नाजायज फायदा उठाते हुए वादग्रस्त आराजीयात की पूर्व दिशा में डोल तोडकर रोड डालने पर आमादा है जिससे सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक होने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। वकील प्रतिवादी ने निवेदन किया कि प्रतिवादी वादग्रस्त आराजीयात के पडौसी खातेदार है। प्रतिवादीगण ने वादीगण की आराजीयात पर कभी कब्जा नहीं किया है प्रतिवादीगण अपनी ही आराजीयात पर शांतिपूर्वक काबिज है। वाद झूठे तथ्यो पर आधारित होने से खारिज फरमाया जावे। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादी वादग्रस्त आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजीयात के लगवा प्रतिवादी की आराजीयात है। पक्षकारान के मध्य आराजीयात के सीमा संबंधी विवाद है जिसके स्थायी निराकरण के लिये पक्षकारान की आराजीयात का सीमाज्ञान करवाया जाकर ,बाद पश्चात् सीमाज्ञान पक्षकारान को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाकर तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह खसरा नंबर 936, 934, 935, 938 ग्राम रेनवाल, तहसील फागी जिला जयपुर की सीमाओ का पक्षकारान की उपस्थति में सीमाज्ञान करावे। बाद सीमाज्ञान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 19 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है पक्षकारान एक दूसरे की आराजीयात के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी एवं कब्जा ना तो स्वयं करे ,ना ही किसी अन्य से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 29.06.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट रेनवाल में सुनाया गया। (सावन कुमार जायल) उपखण्ड अधिकारी फागी	

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला–जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

रामवतार व अन्य

बनाम

लाडा देवी व अन्य

::– वाद स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मुकदमा नं0 – 299/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाकर तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह खसरा नंबर 936, 934, 935, 938 ग्राम रेनवाल, तहसील फागी जिला जयपुर की सीमाओ का पक्षकारान की उपस्थति में सीमाज्ञान करावे। बाद सीमाज्ञान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 19 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है पक्षकारान एक दूसरे की आराजीयात के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी एवं कब्जा ना तो स्वयं करे ,ना ही किसी अन्य से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करे।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी.....सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....का अदा करे।

बसबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..... को जारी की गई।

दस्तखत.....

मुहर

ओहदा.....

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	Nil		फीस कमीश्नर	Nil	
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)